

दृष्टिरा

॥ न्यायालय आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद ॥

क्रमांक : ५१५ / प्रवाचक-१ / 2014 /
पति,

होशंगाबाद, दिनांक ३ / ०६ / 2014

रिक्विएट २००० - PBR/14

आमन / अवधेश

सचिव,
माननीय राजस्व मण्डल,
मध्यप्रदेश— न्यायियर
(कैन्स— भोपाल)

विषय : अमिलेख प्रेषण विषयक ।

कैन्स अपलू
पर प्राप्ति
कैन्स १५५

उपर्युक्त विषयान्तर्गत न्यायालय आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के न्यायालय में पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक ८१ / अप्रैल वर्ष 2013-14 पक्षकार— अवधेश बनाम् मध्यप्रदेश राज्य व अन्य औजा ग्राम आगराकला तहसील व जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-५१ के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनर्विलोकन की अनुमति वास्ते प्रकरण क्रमांक ८१ / अप्रैल वर्ष 2013-14 पक्षकार— अवधेश बनाम् मध्यप्रदेश राज्य व अन्य कुल पृष्ठ संख्या : 128 एवं न्यायालय कलेक्टर, होशंगाबाद का मूल प्रकरण क्रमांक ८ / अ-६ वर्ष 2003-04 पक्षकार— मध्यप्रदेश राज्य बनाम् अवधेश कुल पृष्ठ : 42 इस प्रकार कुल ०२ प्रकरण आपकी ओर सादर सम्प्रेषित हैं ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ०२ दो प्रकरण

४। कैन्स २०१३-१४

४। अ-६। २००३-०४

आदेशानुसार

उपर्युक्त (राजस्व)
नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद

विविद 2000-PBR/14

आम / नावद्युत

(2)

24.5.2016

आवेदक की ओर से कोई उपलब्धित
नहीं। अमावेदक को सही पते पर सूचना
पत्र भेजा जाया, जो ग्राम में निवासियों
की बहुत की रुपये के सब घास।
एकजूल में पुनर्विलोकन का पर्याप्त आवाहन
होने से आकुश्त डाटा एकजूल इनमें 162/2016।
2008-09 में लाइट आईटी इनाम के
25.5.2013 के पुनर्विलोकन की
अनुसारी दी जाती है।

अधिकारी
अधिकारी